कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्रांकः एफ.7(28)परीक्षा–"क"/प्रधानाध्यापक(मावि)/ 2017–18/827 दिनांकः 4.10.2019 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के शिड्यूल–I/II के ग्रुप–एफ के पद प्रधानाध्यापक–मावि समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित संलग्न सूची के आशार्थियों को प्रधानाध्यापक–मावि के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के लेवल–14 में नियुक्ति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। इनका चरित्र/दस्तावेज सत्यापन/अनुभव सत्यापन संतोषजनक नहीं होने पर सेवा मुक्त करने का अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः एफ 1(12)डीओपी /ए–II/2005 दिनांकः 20.01.06 एवं एफ. 12(06)एफडी (नियम)/2005 दिनांकः 13.03.2006 तथा एफ 15(1)एफ डी/नियम /2017 दिनांकः 30.10. 2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र कमांकः प.8(1)कार्मिक/क–2/03 दिनांकः 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांकः 20.06. 2001(33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। संबंधित आशार्थी के राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण अनुभव अथवा राज्य से बाहर के विश्वविद्यालय से शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यताधारी होने की स्थिति में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वयं के स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करावें। सत्यापन होने तक कार्यग्रहण हेतु प्रोविजनल अनुमति प्रदान की जावे। **समस्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व अपने दस्तावेजों की छाया प्रति मय पदस्थापन आदेश की प्रति एवं समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में शपथ पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के पश्चात लिखित पूर्वानुमति लेकर ही कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जो अभ्यर्थी वर्तमान में नागौर एव झुंझुनूं जिले में कार्यरत हैं अथवा इस आदेश से पदस्थापित हो रहे हैं, के संबंध में उक्त आदेश आदर्श आचार संहिता समाप्ति उपरान्त ही प्रभावी होगा।**

उक्त आशार्थी दिनांकः 31.10.2019 तक नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। उक्त आदेश द्वारा प्रदत्त समस्त नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक–मावि प्रतियोगी परीक्षा–2018 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं/अपीलों में माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णयों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के प्रमाणीकरण के अध्यधीन रहेंगी।

इस आदेश में केवल राजकीय संस्थाओं में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त आशार्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। निजी संस्था का शिक्षण अनुभव रखने वाले आशार्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन उपरान्त पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जायेंगे। अतः यदि निजी शिक्षण संस्थाओं से पूर्ण या आंशिक अनुभव प्राप्त किसी आशार्थी का पदस्थापन सहवन से इस आदेश में हो

गया हो, तो कार्यग्रहण की अनुमति नहीं देते हुए तत्काल सम्पूर्ण विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगति प्रदान करेंगे। राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत आशार्थियों के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक नहीं होगा। शेष आशार्थियों के संबंध में सक्षम स्तर से विहित प्रारूप में जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करके ही कार्यग्रहण की अनुमति दी जावे।

संलग्नः–आदेश सूची क्र.सं. 01 से 02 तक।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / संस्था / बी–I / 45001 / आरपीएससी–18 / पदस्थापन / 2019 / 2–4 दिनांकः 22.10.2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारंभिक ।
9. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश में उल्लेखित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. सहायक निदेशक, गोपनीय प्रतिवेदन / वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
12. संबंधित संस्था प्रधान / कार्मिक / नियंत्रण अधिकारी।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

—: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर :—

क्रमांकः—शिविरा/माध्य/संस्था/बी—I/45001/आरपीएससी—18/पदस्थापन/2019/4—2

दिनांकः—22/10/2019

क0सं0	रोल0 नं0	पीएससी मेरिट	आवेदित वर्ग	चयनित वर्ग	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	पता	जिला	पदस्थापन स्थान	जिला	फोटो अभ्यर्थी
1	121679	891	ST,RG	STM	RAMJILAL MEENA	11-09-1986	VILLAGE- CHANDSEN POST-CHANDSEN TEHSIL- MALPURA CHANDSEN 304501	TONK	GOVT. SEC. SCHOOL BHAGWANPURA, SARWAR (08211600101)(KEKRI)	AJMER	
2	115816	1076	BC,WE, WD	GENF	MAMATA KUMARI	11-12-1979	840 BAPU NAGAR IDGAH COLONY BHARATPUR BHARATPUR 321001	BHARATPUR	GOVT SEC SCHOOL, BORAI, KUMHER (08070401704)(DEEG KUMHE)	BHARATPUR	

(नथमल डिडेल)
I.A.S
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर